भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड

बनाम

महाराष्ट्र सामान्य निगम संघ और अन्य 14 दिसंबर, 1998

[एस. सागिर अहमद और डी. पी. वाधवा, जे. जे.]

श्रम कानूनः

स्थायी आदेश- औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश)अधिनियम, 1946 के तहत क्रेन्द्र सरकार द्वारा प्रमाणन प्राधिकरण और आदर्श स्थायी आदेश द्वारा प्रमाणित -असंगतता-िकसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपराधी की घरेलू जांच का प्रतिनिधित्व-अधिकार-अभिनिणित, अपराधी को केवल सेवा नियमों में विशेष रूप से प्रदान की गई सीमा तक उपलब्ध-स्थायी आदेश में प्रावधान उपलब्ध जो अपराधी को उसी प्रतिष्ठान के साथी श्रमिकों द्वारा प्रतिनिधित्व करने की अनुमति देता है-अभिनिणित, आदर्श स्थायी आदेशों के अनुरूप नहीं हो या अनुचित हो या सामंजस्य का अभाव हो जो उस संघ के सदस्य द्वारा अपराधी के प्रतिनिधित्व की अनुमति देता है जिसमें अपराधी सदस्य था, हालांकि वह सदस्य कहीं और कार्यरत था-औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम,1946, धारा 5,6,2(ईई),12-ए 7,10 और 15(2)(बी)-औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) केंद्रीय

नियम, 1946-आदर्श स्थायी आदेश, पैरा 14(4)(बीए)-रेलवे स्थापना संहिता, नियम 1712-केंद्रीय सिविल सेवा(सी.सी.ए.) नियम, 1965, नियम 14(8)-विभागीय जांच-प्राकृतिक न्याय-सुनवाई।

औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946,धारा 4(जैसा 1965 में संशोधित), 5 एवं 6- प्रमाणन अधिकारी एवं अपीलीय प्राधिकरण का क्षेत्राधिकार-अभिनिर्णित, यह जांचने तक सीमित नहीं है कि क्या मसौदा स्थायी आदेश, आदर्श स्थायी आदेशों के अनुरूप है लेकिन स्थायी आदेशों के प्रावधानों की निष्पक्षता और तर्कसंगतता के निर्धारण तक विस्तार। औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946- प्रकृति एवं दायरा- अभिनिर्णित, एक लाभकारी विधान- क़ानूनों की व्याख्या-लाभकारी विधान।

औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम,1946 धारा 5(2)और(3)-स्थायी आदेशों का प्रमाणन-इसका प्रभाव-अभिनिर्णित, प्रमाणित स्थायी आदेश प्रबंधन और नए कर्मचारियों पर बाध्यकारी सेवा की शर्तों का गठन करते हैं।

स्थायी आदेशों का मसौदा अपीलार्थी द्वारा औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 के तहत प्रमाणन हेतु प्रमाणन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। इसे विभिन्न संशोधनों के साथ प्रमाणित किया गया था। स्थायी आदेश के मसौदे के खंडों में से एक जो प्रमाणित नहीं था वह विभागीय कार्यवाहियों के दौरान एक कर्मचारी का प्रतिनिधित्व से संबंधित था और जिसके परिणामस्वरूप केन्द्र सरकार द्वारा बनाए गए आदर्श स्थायी आदेशों में निहित प्रावधान अपीलीय प्रतिष्ठान पर लागू थे। अपीलार्थी तथा प्रत्यर्थी 1 की ओर से अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष दायर अपील पर विभागीय कार्यवाही के दौरान प्रतिनिधित्व से संबंधित खंड, जैसा आदर्श स्थायी आदेशों में नियत किया गया, को मंजूरी दी गयी। अपीलीय प्राधिकरण के आदेश को प्रत्यर्थी सं. 1 द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी, जिसे उसने दरिकनार कर दिया था। इसलिए यह अपील की गई है।

अपीलार्थी द्वारा यह तर्क दिया गया था कि आदर्श स्थायी आदेश केवल उसी अविध के दौरान अमल में रहेंगे जहां किसी प्रतिष्ठान द्वारा स्वंय के स्थायी आदेश नहीं बना लिये जाते। इसके विपरीत, प्रत्यर्थी सं. 1 द्वारा यह तर्क दिया गया कि प्रतिष्ठान द्वारा बनाए गए स्थायी आदेशों का मसौदा नैतिक या सिद्धांतिक रूप से आदर्श स्थायी आदेशों से अलग नहीं हो सकता है।

अपील को अनुमति देते ह्ए, यह न्यायालय अभिनिर्धारित किया

1. विभागीय कार्यवाहियों में एक कर्मचारी को अन्य किसी व्यक्ति या अधिवक्ता का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार नहीं है जब तक कि सेवा नियम में विशेषतः ऐसा दिया हो। प्रतिनिधित्व का अधिकार उसी स्थिति में उपलब्ध है जब ऐसा विशिष्ट रूप से नियमों में प्रदत्त हो। रेलवे स्थापना संहिता के नियम 1712 के तहत एक अपराधी को अन्य रेलवे कर्मचारी द्वारा प्रतिनिधित्व करने का विकल्प प्रदान किया गया है, परन्त् ऐसा विकल्प उसी रेलवे को उपलब्ध होगा जिसमें वह ख्द काम करता है, जैसा कि, यदि वह पश्चिम रेलवे का कर्मचारी है तो उसका विकल्प पश्चिम रेलवे के कर्मचारी तक ही सीमित होगा। अन्य रेलवे में जाने के लिये विकल्प उपलब्ध नहीं रहेगा। इसी तरह, केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1965 के नियम 14(8) में एक कर्मचारी को अन्शासनात्मक कार्यवाही में एक सहकर्मचारी के माध्यम से प्रतिनिधित्व करने का विकल्प दिया गया है। [527-जी; 528-ए-बी]

कालिंदी एवं अन्य बनाम टाटा लोकोमोटिव एंड इंजीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड, ए.आई.आर.(1960) एससी 914: [1960] 3 एससीआर 407; डनलप रबर कंपनी बनाम कामगार, [1965] 2 एस. सी. आर. 139: ए.आई.आर. (1965) एस.सी. 1392; (1965)(1) एल.एल. जे. 426 एवं ग्लैक्सो इंडस्ट्रीज (1) लिमिटेड बनाम पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय मेरठ, (1983) लैब एंड इंड. मामले 1909; ए.आई.आर. (1984) एस.सी.

505 [1984] 1 एस.सी. आर. 230: [1984] 1 एस.सी.सी. 1, पर भरोसा किया।

- 2. औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946, जो कि एक लाभकारी अधिनियम है, में अंतर्निहित उद्देश्य, एक ही श्रेणी से संबंधित श्रमिकों के संबंध में रोजगार के नियमों और शर्तों की एकरूपता को लागू करना और औद्योगिक प्रतिष्ठान के तहत समान और समान काम का निर्वहन करना है एवं औद्योगिक कर्मचारियों के नियम और शर्तों को अच्छी तरह से स्थापित करना और उन्हें कर्मचारियों को रोजगार स्वीकार करने से पहले उनके ज्ञान में लाना। [524-सी]
- 3. यह सही है कि मूल रूप से प्रमाणन अधिकारी जिसे अपीलीय अधिकारी भी सम्बोधित किया जाता है का अधिकार क्षेत्र बहुत सीमित था और उनका क्षेत्राधिकार केवल यह देखना था कि क्या प्रतिष्ठान द्वारा बनाए गए एवं उन्हें प्रमाणन के लिये प्रस्तुत किये गये स्थायी आदेश आदर्श स्थायी आदेशों के अनुरूप हैं या नहीं। इसके लिए प्रारूप स्थायी आदेशों की मॉडल स्थायी आदेशों के साथ तुलना करने की प्रक्रिया की आवश्यकता थी और तुलना करने पर यदि यह पाया जाता कि प्रारूप स्थायी आदेश, माॅडल स्थायी आदेशों के अनुरूप है तो, उन्हें प्रमाणित किया जाएगा, भले ही वे उचित या निष्पक्ष न हों। [530 एफ]

व्यावहारिक रूप से श्रमिकों की इस मामले में कोई सुनवाई नहीं थी, भले ही वे आंदोलन करें कि मसौदा स्थायी आदेश निष्पक्ष या उचित नहीं हैं। [530 - जी]

- 4.1. 1956 में इस अधिनियम में संसद द्वारा आमूलचूल परिवर्तन किए गए जिसके परिणामस्वरूप संसद ने न केवल अधिनियम का दायरा बढ़ाया, बल्कि प्रमाणन अधिकारियों को स्थायी आदेशों के किसी भी प्रावधान की निष्पक्षता या तर्कसंगतता से संबंधित प्रश्न पर निर्णय लेने संबंधी अपीलीय प्राधिकरण का अधिकार क्षेत्र प्रदान किया गया। [530-एच;531-ए]
- 4.2. मॉडल स्थायी आदेशों द्वारा निसंदेह यह प्रदत्त किया गया कि एक अपराधी कर्मचारी का अनुशासनात्मक कार्यवाही में किसी अन्य कर्मचारी के माध्यम से प्रतिनिधित्व किया जा सकता है जो मूल प्रतिष्ठान का कर्मचारी नहीं हो, जिससे अपराधी संबंधित है और जो और कहीं का कर्मचारी हो सकता है, हालांकि वह ट्रेड यूनियन का सदस्य हो सकता है, लेकिन प्रतिनिधित्व के इस नियम को प्रमाणित स्थायी आदेशों से बाधित नहीं किया गया है, क्योंकि यह अभी भी प्रदान करता है कि अपराधी कर्मचारी का प्रतिनिधित्व एक कर्मचारी के माध्यम से अनुशासनात्मक कार्यवाही में किया जा सकता है। एकमात्र प्रतिबंध यह है कि प्रतिनिधि मूल प्रतिष्ठान का कर्मचारी होना चाहिए। अपने प्रतिनिधि के चयन में अपराधी

का च्नाव केवल इस हद तक प्रभावित होता है कि प्रतिनिधि को उसी प्रतिष्ठान का सह-कर्मचारी होना चाहिए जिसमें अपराधी कार्यरत है। इसके पीछे तर्क प्रतीत होता है कि एक सह-कर्मचारी मूल प्रतिष्ठान, स्थायी आदेशों सहित इसके सेवा नियमों में प्रचलित शर्तों से पूरी तरह से अवगत होगा, और एक निष्पक्ष और शीघ्र निपटान के लिए घरेलू कार्यवाही में अपराधी की सहायता करने के लिए एक बाहरी व्यक्ति की तुलना में बेहतर स्थिति में होगा। इस प्रकार आदर्श स्थायी आदेशों की ब्नियादी विशेषताओं को बरकरार रखा जाता है और किसी अन्य कर्मचारी के माध्यम से अन्शासनात्मक कार्यवाही में प्रतिनिधित्व के अधिकार को बदला, प्रभावित या छीन नहीं लिया जाता है। स्थायी आदेश तर्कसंगतता और निष्पक्षता के सभी मानकों के अन्रूप हैं और इसलिए, अपीलीय प्राधिकरण के लिये अपीलार्थी द्वारा प्रस्त्त किए गए स्थायी आदेशों के मसौदे को प्रमाणित करना पूरी तरह से उचित है। [531 - सी-एफ]

4.3. तत्काल मामले में, अंतिम रूप से प्रमाणित स्थायी आदेशों को यह नहीं कहा जा सकता कि वह आदर्श स्थायी आदेशों के अनुरूप नहीं हो या अनुचित हो। [531 - बी.]

सुधीर चंद्र सरकार बनाम टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, [1984] 3 एससीआर 325: [1984] 3 एससीसी 369: ए.आई.आर. (1984) एस.सी.1064; आगरा विद्युत आपूर्ति कंपनी लिमिटेड बनाम अल्लादीन,

[1970] 1 एससीआर 808: [1969] 2 एससीसी 598: ए.आई.आर. (1970) एससी 512: कामगार बनाम फायरस्टोन टायर एंड रबर कंपनी ऑफ इंडिया (पी.) लिमिटेड, [1973] 3 एससीआर 587: [1973] 1 एससीसी 813: ए.आई.आर. (1973) एससी 1227 और ग्लैक्सो इंडस्ट्रीज (I) लिमिटेड बनाम पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, मेरठ, (1983) लेब एंड इंड. मामले 1909: ए.आई.आर. (1984) 1 एससीआर 505: [1984] आई एस. सी. आर. 230 [1984] 1 एस.सी.सी.1, पर निर्भर।

क्रेसेंट डायस एंड केमिकल्स लिमिटेड बनाम राम नरेश त्रिपाठी, [1992] पूरक 3 एससीआर 559: [1993] 2 एस.सी.सी. 115, संदर्भित।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः सिविल अपील नं. 365-367/1997.

बॉम्बे उच्च न्यायालय के डब्ल्यू. पी. संख्या 231, 776 और 1462/ 1994 के निर्णय और आदेश दिनांक 28.6.96 से।

अल्ताफ अहमद, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, पी.एच.पारेख, कृष्ण वेणुगोपाल एवं अमित ढींगरा-अपीलार्थी की ओर से।

एन. बी. शेट्ये, (फारूख रशीद) अशोक कुमार गुप्ता के लिए, ए.एम. खानविलकर एवं वी. डी. खन्ना- प्रत्यर्थी की ओर से।

न्यायालय का निर्णय एस.सागिर अहमद, जे. द्वारा दिया गया।

इस अपील के पक्षकारों के बीच 1984 में कानूनी लड़ाई जो एक बड़े स्तर पर शुरू हुई थी, अब केवल एक प्रश्न तक सीमित रह गयी, अर्थात्, एक अन्य कर्मचारी के माध्यम से अनुशासनात्मक कार्यवाही में एक कर्मचारी के प्रतिनिधित्व से संबंधित प्रश्न, जो हालांकि अपीलकर्ता-निगम का कर्मचारी नहीं था, फिर भी, ट्रेड यूनियन का सदस्य था।

भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो हमारे समक्ष अपीलकर्ता है, 1976 में निगमित किया गया था।

दिनांक 4.12.1985 को, अपीलार्थी ने प्रमाणन के लिये प्रमाणन अधिकारी के समक्ष औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 (संक्षेप में, 'अधिनियम') के तहत स्थायी आदेशों का मसौदा प्रस्तुत किया जो कि बॉम्बे में अपने मुख्य कार्यालय सिहत पश्चिमी क्षेत्र के विपणन प्रभाग पर लागू होने से संबंधित था। स्थायी आदेशों के मसौदे की प्राप्ति पर, प्रमाणन अधिकारी ने विभिन्न कर्मचारी संघों को नोटिस जारी किए और वैधानिक प्रक्रिया का पालन करते हुए एवं पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के बाद, मौसोदा स्थायी आदेश 14-10-1991 को अधिनियम की धारा 5 के तहत पारित आदेश के माध्यम से प्रमाणित किया। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मौसोदा स्थायी आदेश न केवल सम्पूर्ण रूप से प्रमाणित किये गये बल्कि उन्हें विभिन्न तौर पर संशोधित भी किया गया।

प्रमाणन अधिकारी द्वारा मौसोदा स्थायी आदेश के जिस एक खण्ड का प्रमाणन नहीं किया गया था वह अनुशासनात्मक कार्यवाही में कर्मचारी के प्रतिनिधित्व से संबंधित था। परिणाम यह हुआ कि विभागीय कार्यवाहियों के दौरान संबंधित प्रावधान जो मौसोदा स्थायी आदेश में निहित था एवं जो एक कर्मचारी के प्रतिनिधित्व से संबंधित था वह उसी रूप में अपीलार्थी प्रतिष्ठान पर लागू होना जारी रहा।

प्रमाणन अधिकारी द्वारा पारित आदेश से व्यथित, दो अपीलें दायर की गई; एक वर्तमान अपीलार्थी द्वारा और दूसरी प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा, अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष और बाद वाले ने 23 नवंबर, 1993 के अपने आदेश द्वारा स्थायी आदेशों को अंतिम के रूप में प्रमाणित किया। अनुशासनात्मक कार्यवाही के दौरान एक कर्मचारी के प्रतिनिधित्व से संबंधित खंड, जैसा कि मसौदा स्थायी आदेशों में निर्धारित किया गया था, को मंजूरी दी गई थी और उस संबंध में प्रमाणन अधिकारी के आदेश को दरिकनार कर दिया गया था। स्थायी आदेश, जैसा कि अंततः अपीलीय प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित किया गया था, अपीलार्थी द्वारा 30.11.1993 पर अधिसूचित किए गए थे और इसी तारीख से वे लागू हुए थे।

अपीलकर्ता प्राधिकरण के आदेश को प्रतिवादी सं.1 द्वारा बॉम्बे हाई कोर्ट में रिट पिटीशन सं.231/94 में चुनौती दी गई थी, जिसमें 15.3.1994 को याचिका को स्वीकार किया, लेकिन इस निर्देश के साथ अंतरिम राहत को अस्वीकार कर दिया कि रिट पिटीशन के लंबित रहने के दौरान, एक आरोप पत्र वाले कर्मचारी को विभागीय जांच में, उसके विकल्प पर, उस ट्रेड यूनियन के एक पदाधिकारी द्वारा प्रतिनिधित्व करने की अनुमित दी जाएगी, जिसका वह सदस्य है। इस आदेश के बाद से स्थायी आदेशों के विपरीत, जैसा कि अपीलीय प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित किया गया था, अपीलार्थी ने 1994 की विशेष अनुमित याचिका (सिविल) संख्या 12274 दायर की जिसमें यह न्यायालय, 30.9.1994 पर। निम्नलिखित आदेश पारित कियाः

"नोटिस जारी करें। उच्च न्यायालय के निर्देश पर अंतरिम रोक कि संघ का कोई पदाधिकारी जो याचिकाकर्ता निगम का मजदूर नहीं है वह अपराधी का प्रतिनिधित्व का सकता है। यह स्पष्ट किया जाता है कि इस बीच, कर्मचारी का प्रतिनिधित्व कोई अन्य कर्मचारी कर सकता है जो याचिकाकर्ता निगम का कर्मचारी हो।"

अपने दिनांकित 18.9.1995 के निर्णय द्वारा, इस न्यायालय ने बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा पारित किया गया अंतरिम आदेश को रद्द कर दिया और उच्च न्यायालय को पक्षों को सुनने के बाद रिट याचिका में एक नया अंतरिम आदेश पारित करने का निर्देश दिया।

दिसंबर, 1995 में प्रत्यर्थी संख्या 1 ने प्रस्ताव का नोटिस निकाला लेकिन उच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 11.12.1995 के आदेश द्वारा इसे खारिज कर दिया, हालांकि, उच्च न्यायालय ने अपने अंतिम निर्णय दिनांक 28.6.1996 द्वारा रिट याचिका स्वीकार की एवं अपीलीय प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 23-11-1993, जिसके द्वारा अन्शासनात्मक कार्यवाही के दौरान एक कर्मचारी के प्रतिनिधित्व से संबंधित खंड, जैसा कि स्थायी आदेशों के मसौदे में निहित है, प्रमाणित किया गया था, को दरिकनार कर दिया गया था और प्रमाणन अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 14-10-1991 को बनाए रखा। वर्तमान अपील इस निर्णय के खिलाफ दायर की गई है और इन अपीलों में हमारा एकमात्र सवाल यह है कि क्या एक कर्मचारी, जिसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई है, एक ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रतिनिधित्व करने का दावा कर सकता है, जो, हालांकि, एक ट्रेड यूनियन का सदस्य है, लेकिन अपीलकर्ता का कर्मचारी नहीं है।

स्थायी आदेशों के पैरा 14 (4) (बीए), जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा औद्योगिक प्रतिष्ठानों के लिए अधिनियम के तहत बनाए गए है, अलावा कोयला खदानों में प्रतिष्ठानों के लिये, यह प्रावधान करते है किः "जाँच में, कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का हकदार होगा या जिस ट्रेड यूनियम का वह सदस्य है उसके पदाधिकारी द्वारा उसका प्रतिनिधित्व किया जा सकता है।"

मसौदा स्थायी आदेशों का खंड 29 (4), जैसा कि अपीलीय प्राधिकरण द्वारा अपने निर्णय दिनांक 23-11-1993 के द्वारा प्रमाणित किया गया है, निम्नलिखित प्रावधान करता है:-

"29.4 (पैरा-3): यदि जांच करने का निर्णय लिया जाता है तो संबंधित कर्मचारी को आरोप/आरोपों का जवाब देने का अवसर दिया जाएगा और अपनी पसंद के एक साथी कर्मचारी द्वारा बचाव की अनुमित दी जायेगी, निगम के कर्मचारी होने के नाते, बचाव करने वाले कर्मचारी को जांच के संचालन के लिए आवश्यक समय दिया जाएगा।"

उपर दिये गये आदर्श स्थायी आदेश एवं प्रमाणन प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित मसौदा स्थायी आदेश के बीच महत्वपूर्ण अंतर यह है कि, आदर्श स्थायी आदेशों के तहत विभागीय कार्यवाही में एक कर्मचारी का प्रतिनिधित्व एक ट्रेड यूनियन के पदाधिकारी द्वारा किया जा सकता है, जिसमें से वह एक सदस्य है, जबिक उसके पास मसौदा स्थायी आदेशों के तहत यह अधिकार नहीं है, जैसा कि अपीलीय प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित

किया गया है, जो अपीलार्थी निगम से उसकी पसंद के एक साथी कर्मचारी द्वारा प्रतिनिधित्व के उसके अधिकार को सीमित करता है। अपीलार्थी के विद्वान वकील का तर्क है कि केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए आदर्श स्थायी आदेश औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) केंद्रीय नियम, 1946 केवल उस अवधि के दौरान संचालित हो सकते हैं जब स्थायी आदेश स्वयं प्रतिष्ठान द्वारा नहीं किए जाते हैं। यदि और जब वे स्थायी आदेश दिए जाते हैं, जिन्हें किसी भी मामले में अधिनियम के संदर्भ में अनिवार्य रूप से बनाया जाना है, तो उन्हें प्रमाणन अधिकारी को प्रस्त्त किया जाता है और यदि वे प्रमाणित हैं, तो वे उस तारीख से प्रभावी होते हैं जिस दिन उन्हें अधिसूचित किया जाता है और प्रभावी रूप से मॉडल स्थायी आदेशों को प्रतिस्थापित करते हैं। प्रमाणन अधिकारी का आदेश अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अपील योग्य है और अपीलीय प्राधिकरण प्रमाणन अधिकारी द्वारा पारित आदेश में कानूनी रूप से हस्तक्षेप कर सकता है और इसे दरिकनार कर सकता है या इसे बरकरार रख सकता है। अधिनियम के तहत कोई प्रतिबंध नहीं है कि प्रबंधन या प्रतिष्ठान, या उस मामले के लिए, नियोक्ता, आदर्श स्थायी आदेशों को अपनाएगा। यह तर्क दिया जाता है कि स्थायी आदेश निष्पक्ष और तर्कसंगत होने के अलावा केवल आदर्श स्थायी आदेशों के अनुरूप होने चाहिए।

इसके विपरीत प्रत्यर्थी संख्या 1 के विद्वान वकील का प्रस्त्तिकरण यह है कि प्रबंधन दवारा बनाए गए स्थायी आदेश, आदर्श स्थायी आदेशों में दर्शाई गई तर्ज पर होने चाहिए और आदर्श स्थायी आदेशों से सिद्धांत या नीति में कोई विचलन नहीं हो सकता है। यह तर्क दिया जाता है कि एक बार आदर्श स्थायी आदेशों द्वारा यह प्रावधान किया गया था कि निगम के एक कर्मचारी का प्रतिनिधित्व किसी अन्य प्रतिष्ठान के कर्मचारी द्वारा केवल इस प्रतिबंध के साथ किया जा सकता है कि वह एक ट्रेड यूनियन का पदाधिकारी होना चाहिए, अपीलार्थी के लिए अपने स्थायी आदेशों में यह प्रावधान करने के लिए खुला नहीं था कि निगम के एक कर्मचारी का प्रतिनिधित्व अन्शासनात्मक कार्यवाही में केवल निगम के किसी अन्य कर्मचारी द्वारा किया जाएगा। यह तर्क दिया जाता है कि यह प्रस्थान कानून में अस्वीकार्य है और इसलिए, उच्च न्यायालय को अपीलीय प्राधिकरण के आदेश को दरिकनार करने में उचित ठहराया गया था जिसने अपीलार्थी द्वारा प्रस्त्त मसौदा स्थायी आदेशों को प्रमाणित किया था।

संसद द्वारा औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946, द्वारा इस हेतु बनाये गये थे कि सभी औद्योगिक प्रतिष्ठानों के नियोक्ता को औपचारिक रूप से रोजगार की शर्तों को परिभाषित करने की आवश्यकता है जिन पर श्रमिक कार्य करेंगे जैसा कि इस न्यायालय ने सलेम इरोड विद्युत वितरण कंपनी प्रा. लि. बनाम कर्मचारी संघ, (1966)

1.एल.एल.जे. 443= ए.आई.आर. (1966) एस.सी. 808=[1966] 2 एस.सी.आर.498, इसके बाद ग्लैक्सो लैबोरेटरीज (आई) लिमिटेड बनाम पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, मेरठ, (1983) श्रम और औद्योगिक मामले 1909 = ए.आई.आर. 1984 एस.सी. 505 = (1984) 1 एस.सी.आर. 230 = (1984)1 एस.सी.सी. 1।

इस अधिनियम का अंतर्निहित उद्देश्य, जो कानून का एक लाभकारी हिस्सा है, इस संबंध में रोजगार के नियमों और शर्तों में एकरूपता लाना है समान श्रेणी के श्रमिकों की संख्या और औद्योगिक प्रतिष्ठान के तहत समान और समान काम करने वाले श्रमिकों की संख्या और औद्योगिक कर्मचारियों के नियम और शर्तों को अच्छी तरह से स्थापित करना और उन्हें रोजगार स्वीकार करने से पहले कर्मचारियों को ज्ञात करना।

यह अधिनियम प्रत्येक औद्योगिक प्रतिष्ठान पर लागू होता है जिसमें सौ या अधिक श्रमिकों को नियुक्त किया जाता है।

"मॉडल स्थायी आदेशों" को धारा 2 (ई.ई.) में परिभाषित किया गया है। उनसे मतलब है कि धारा 15 के तहत निर्धारित स्थायी आदेश जो उपयुक्त सरकार को नियम बनाने की शक्ति देता है और अन्य बातों के साथ-साथ यह भी प्रदान करता है कि नियम सरकार द्वारा इस प्रकार बनाए जाए जो इस अधिनियम के उद्देश्य के लिए आदर्श स्थायी आदेश निर्धारित किए जा सकते हैं।

धारा 12 (ए) निम्नलिखित प्रावधान करती हैः

"12-ए आदर्श स्थायी आदेशों का अस्थायी उपयोगः (1) धारा 3 से 12 तक में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उस कालावधि के लिए, जो उस तारीख को प्रारम्भ होती है जिसको यह अधिनियम किसी औद्योगिक स्थापन को लागू होता है और उस तारीख के साथ समाप्त होती है जिसको उस अधिनियम के अधीन अन्तिम रूप से यथाप्रमाणित स्थायी आदेश धारा 7 के अधीन उस स्थापन में प्रवृत्त हो, विहित आदेश उस स्थापन में अंगीकृत किए गए समझे जाएंगे, और धारा 9, धारा 13 की उपधारा (2) और धारा 13-क के उपबंध ऐसे आदर्श स्थायी आदेशों को उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे स प्रकार प्रमाणित स्थायी आदेशों को लागू होते हैं।

(2) उप-धारा (1) में अन्तर्विष्ट कोई भी बात किसी ऐसे औद्योगिक संस्थापन को लागू नहीं होगी जिसके बारे में समुचित सरकार, गुजरात राज्य की सरकार या महाराष्ट्र राज्य की सरकार हो।"

यह खण्ड प्रदत्त करता है कि आदर्श स्थायी आदेश औद्योगिक प्रतिष्ठान पर उस अविध के दौरान उस दिनांक से लागू होंगे जब अधिनियम के प्रावधान उस प्रतिष्ठान पर लागू हो जायें और उस तारीख को स्थायी आदेश, जैसा कि इस अधिनियम के तहत अंत में प्रमाणित किया गया है, लागू होता है।

अधिनियम की धारा 7 उस तारीख को निर्धारित करती है जिस पर किये गये स्थायी आदेश या संशोधन लागू हो जाएंगे। यह निम्नानुसार प्रदान करती है:

"7. अस्थायी आदेश या संशोधन के लागू होने की तारीख-स्थायी आदेश या संशोधन, जब तक कि धारा 6 के तहत अपील दायर नहीं की जाती है, धारा 5 की उपधारा 3 के तहत सत्यापित प्रतिलिपियों के भिजवाये जाने के 30 दिन के पश्चात् लागू माने जायेंगे, अथवा जहां उपयुक्त अपील दायर की जाये, वहां धारा 6 उपधारा 2 के तहत अपीलीय प्राधिकरण को प्रतिलिपियां भिजवाये जाने के 7 दिन की समाप्ति के पश्चात् लागू माने जायेंगे।"

स्थायी आदेश धारा 5 के तहत प्रमाणित हैं। स्थायी आदेशों के प्रमाणन की प्रक्रिया को इसमें निर्धारित किया गया है एवं यहां धारा 5 का उल्लेख करना उपयोगी होगाः

"5. स्थायी आदेशों का प्रमाणन। - (1) धारा 3 के अधीन प्रारूप की प्राप्ति पर, प्रमाणकर्ता आफिसर उसकी एक प्रति कर्मकारों के व्यवसाय संघ को, यदि कोई हो, अथवा जहां कि ऐसा कोई व्यवसाय संघ न हो वहां कर्मकारों को, ऐसी रीति से, जैसी विहित की जाए, भेजेगा, जिसके साथ विहित प्रारूप में ऐसी सूचना भी होगी जिसमें, सूचना की प्राप्ति के पन्द्रह दिन के भीतर, वे आक्षेप, यदि कोई हों, भेजने की अपेक्षा की जाएगी जो स्थायी आदेशों के प्रारूप के बारे में कर्मकार करना चाहें।

(2) नियोजक को और व्यवसाय संघ को या कर्मकारों के ऐसे अन्य प्रतिनिधियों को, जो विहित किए जाएं, सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् प्रमाणकर्ता आफिसर यह विनिश्चय करेगा कि नियोजक द्वारा भेजे गए प्रारूप में कोई उपान्तर या परिवर्तन करना स्थायी आदेशों के प्रारूप को इस अधिनियम के अधीन प्रमाणीयन बनाने के

लिये आवश्यक है या नहीं, और तदनुसार लिखित आदेश करेगा।

(3) प्रमाणकर्ता आफिसर तदुपरि स्थायी आदेशों के प्रारूप में ऐसे उपरान्तर करने के पश्चात् जो उपधारा (2) के अधीन के उसके आदेश में अपेक्षित हों, उन्हें प्रमाणित करेगा, और विहित रीति से अधिप्रमाणीकृत प्रमाणित स्थायी आदेशों की और उपधारा (2) के अधीन के अपने आदेश की प्रतियां तत्पश्चात् सात दिन के भीतर नियोजक को और व्यवसाय संघ को या कर्मकारों के अन्य विहित प्रतिनिधियों को भेजेगा"।

स्थायी आदेशों या मसौदा संशोधनों को प्रमाणित करने के बाद, प्रमाणन अधिकारी को प्रमाणित स्थायी आदेशों की प्रतियां भेजना आवश्यक है, नियोक्ता के साथ-साथ ट्रेड यूनियन या कामगारों के अन्य निर्धारित प्रतिनिधियों को भी निर्धारित तरीके से प्रमाणित प्रति भेजी जायेगी। एक बार स्थायी आदेश प्रमाणित हो जाने के बाद, वे सेवा की शर्तों का गठन करते हैं जो रोजगार पर बाध्यकारी होती हैं या जिन्हें प्रमाणन के बाद नियोजित किया जा सकता है जैसा कि इस न्यायालय द्वारा सुधीर चंद्र सरकार बनाम टाटा आयरण एण्ड स्टील कंपनी लिमिटेड एवं अन्य, ए.आई.आर.(1984) एस.सी. 1064 =[1984] 3 एस.सी.सी. 369=[1984] 3

एस.सी.आर.326, निर्धारित किया गया था। जिसमें आगरा विद्युत आपूर्ति कंपनी लिमिटेड बनाम अल्लादीन, ए.आई.आर.(1970) एस.सी. 512=[1970] 1 एस.सी.आर.808=[1969] 2 एस. सी.सी. 598, में पहले के निर्णय पर निर्भरता रखी गई थी। जिसमें यह भी निर्धारित किया गया था कि प्रमाणित स्थायी आदेश सभी को बाध्य करते हैं। जो सेवा के समय नौकरी करने वाले हैं एवं जिन्हें नियुक्त किया जाता है, इसके बाद, (इसे भी देखेः वर्कमेन फायरस्टोन ट्राई एंड रबर कंपनी ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम प्रबंधन, ए.आई.आर.(1973) एस.सी.1227= [1973] 3 एस.सी.आर.587 =[1973] 1 एस.सी.सी.813 एवं ग्लैक्सो लैबोरेटरीज (आई) लिमिटेड बनाम पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, मेरठ, 1983 श्रम और औद्योगिक मामले (1909)=ए.आई.आर. (1984) एससी 505=[1984] 1 एस.सी.सी. 11

प्रमाणन अधिकारी का आदेश धारा 8 के तहत अपील योग्य है। धारा 10 निम्नानुसार प्रदत्त करती है: -

"10. स्थायी आदेशों की अस्तित्वाविध और उनका उपान्तरण। (1) इस अधिनियम के अधीन अंतिम रूप से प्रमाणित स्थायी आदेश, उस तारीख से, जिसको स्थायी आदेश या उनके अंतिम उपान्तरण प्रवर्तन में आए थे, छह

माह के अवसान तक उपान्तरित नहीं किए जा सकेंगे किन्तु, नियोजक और कर्मकारों (या व्यवसाय संघ या कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले अन्य निकाय) के बीच करार होने पर उपान्तरित किए जा सकेंगे।

- (2) उप-धारा (1) के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए यह है कि नियोजक या कर्मकार [या व्यवसाय संघ या कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले अन्य निकाय] स्थायी आदेशों को उपान्तरित कराने के लिए प्रमाणकर्ता आफिसर को आवेदन कर सकेगा और ऐसे आवेदन के साथ उन उपान्तरों की पांच प्रतियां होगी जिनका किया जाना प्रस्थापित है, और जहां कि नियोजक और कर्मकारों [या व्यवसाय संघ या कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले अन्य निकाय] के बीच हुए करार द्वारा ऐसे उपान्तरों का किया जाना प्रस्थापित हो, वहां उस करार की क प्रमाणित प्रति आवेदन के साथ फाईल की जाएगी।
- (3) इस अधिनियम के पूर्वगामी उपबंध उपधारा (2) के अधीन किए गए आवेदन की बाबत् उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे प्रथम स्थायी आदेशों के प्रमाणन को लागू होते हैं।

(4) उप-धारा (2) में अन्तर्विष्ट कोई भी बात किसी ऐसे औद्योगिक स्थापन को लागू नहीं होगी जिसके बारे में समुचित सरकार गुजरात राज्य की सरकार या महाराष्ट्र राज्य की सरकार है।"

धारा 10 आदर्श स्थायी आदेश की अवधि और संशोधन का प्रावधान करती है। अधिनियम के तहत अंतिम रूप से प्रमाणित स्थायी आदेशों को नियोक्ता और श्रमिकों के बीच या कामगारों का संघ या अन्य प्रतिनिधि निकाय उनके कार्य में आने की तारीख से छह महीने की समाप्ति तक एक समझौते या एक व्यापार के अलावा संशोधित नहीं किया जा सकता है।

मूल प्रश्न पर आने से पहले, हम पहले अनुशासनात्मक कार्यवाही में एक कर्मचारी के प्रतिनिधित्व के अधिकार और अधिकार की सीमा पर विचार कर सकते हैं।

मूल सिद्धांत यह है कि एक कर्मचारी को विभागीय कार्यवाही में किसी अन्य व्यक्ति या वकील द्वारा प्रतिनिधित्व का कोई अधिकार नहीं है जब तक कि सेवा नियम विशेष रूप से इसके लिए अधिकार प्रदान करते हो। प्रतिनिधित्व का अधिकार केवल उस सीमा तक उपलब्ध है जिसके लिए नियमों में विशेष रूप से प्रावधान किया गया है। उदाहरण के लिए,

रेलवे प्रतिष्ठान संहिता के नियम 1712 में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं:

"अभियुक्त रेलवे कर्मचारी उसी रेलवे में कार्यरत, जिसमे वह काम करता है, के किसी भी अन्य रेलवे कर्मचारी (सेवानिवृत्ति की तैयारी के लिए छुट्टी पर गए रेलवे कर्मचारी सहित) की सहायता से अपना मामला पेश कर सकता है।"

इसलिए, अपराधी कर्मचारी के लिए प्रतिबंधित तरीके से प्रतिनिधित्व का अधिकार उपलब्ध कराया गया है। उसके पास किसी अन्य रेलवे कर्मचारी द्वारा प्रतिनिधित्व करने का विकल्प है, लेकिन विकल्प उस रेलवे तक सीमित है जिस पर वह खुद काम कर रहा है, यानी, यदि वह पश्चिमी रेलवे का कर्मचारी है, तो उसकी पसंद उस पश्चिम रेलवे पर काम करने वाले कर्मचारियों तक ही सीमित होगी। इस विकल्प को अन्य रेलवे की यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

इसी तरह केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के नियम 14(8) में एक प्रावधान किया गया है जहां एक कर्मचारी को एक सह-कर्मचारी के माध्यम से अनुशासनात्मक कार्यवाही में प्रतिनिधित्व करने का विकल्प दिया गया है।

कालिंदी एवं अन्य बनाम टाटा लोकोमोटिव एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, ए.आई. आर. (1960) एस.सी. 914=[1960] 3 एस.सी.आर.407, में एक तीन न्यायाधीशों की पीठ ने निम्नलिखित टिप्पणी की: -

"हम कानून की अदालतों में अभ्यास करने के आदी हैं जहां इस कला में विशेष रूप से प्रशिक्षित वकीलों द्वारा गवाहों का क्शल संचालन, गवाहों की जाँच और प्रतिपरीक्षा की जाती है, हमारा पहला झुकाव यह सोचना होगा कि एक निष्पक्ष जांच की मांग है कि किसी कार्य आरोपी व्यक्ति को किसी ऐसे व्यक्ति की सहायता मिलनी चाहिए, जो वकील न भी हो तो भी उससे एक कौशल मात्रा में गवाहों से निष्पक्ष रूप से जाँच करने और जिरह करने की अपेक्षा की जा सकती है। लेकिन हमें सबसे पहले यह याद रखना होगा कि ये अदालत में पूछताछ नहीं हैं। यह भी याद रखना आवश्यक है कि इन पूछताछों में, तथ्य के रूप में काफी सरल प्रश्न क्या दुराचार के कुछ कार्य किसी द्वारा किए गए थे या न केवल विचार करने के लिए, और सीधे सवाल करने के लिए जो निष्पक्ष बुद्धि और प्रचलित स्थितियों का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति उदयोग में करने में सक्षम होगा आम तौर पर सच प्राप्त करने में मदद करेगा। अक्सर ऐसा हो सकता है कि आरोपी कर्मचारी उन गवाहों से प्रतिपरीक्षा करने जिन्होंने उसके विरूद्घ साक्ष्य दी है या गवाहों को जिन्होंने उसके पक्ष में गवाही दी है में सबसे उपयुक्त हो।

इस संबंध में इस तथ्य पर विचार करना उपयोगी है कि आम तौर पर घरेलू न्यायाधिकरणों के समक्ष पूछताछ में किसी भी दुराचार के मामले में अभियुक्त अपना मामला ख्द चलाता है। सरकार द्वारा पूछताछ में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में अपने ही कर्मचारियों के खिलाफ नियम बनाए गए हैं। इन नियमों में कोई प्रावधान नहीं किया गया है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ जांच की जा रही है, उसका प्रतिनिधित्व किसी और द्वारा किया जा सकता है। जब घरेलू न्यायाधिकरण द्वारा अपनाई जाने वाली सामान्य प्रथाएँ यह है कि आरोपी व्यक्ति अपना मामला खुद चलाता है, तो हम इस तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ है कि प्राकृतिक न्याय की मांग है कि एक श्रमिक के खिलाफ कदाचार के आरोप पत्र की जांच के मामले का प्रतिनिधित्व उसके संघ के किसी सदस्य द्वारा किया जाना चाहिए। इसके अलावा यह ध्यान देना आवश्यक

है कि यदि जांच निष्पक्ष नहीं है तो संबंधित कर्मचारी इसकी वैधता को किसी औद्योगिक विवाद में चुनौती दे सकता है।।

इसलिए हमारा निष्कर्ष यह है कि जहां एक कर्मचारी के खिलाफ प्रबंधन द्वारा जांच की जा रही वहां उनके संघ के एक प्रतिनिधि द्वारा इस तरह की जांच में प्रतिनिधित्व करने का कोई अधिकार नहीं है। हालांकि निश्चित रूप से एक नियोक्ता स्वयं अपने विवेक से अपने कर्मचारी को इस तरह की सहायता से लाभ उठाने की अनुमति दे सकता है। (जोर दिया गया)।"

एक अन्य निर्णय, डनलप रबर कंपनी बनाम कामगार, [1965] 2 एस.सी.आर. 139= ए.आई.आर. (1965) एस.सी. 1392=1965 (1) एल.एल.जे.426, यह निर्धारित किया गया था कि अनुशासनात्मक कार्यवाही में किसी अन्य व्यक्ति को प्रतिनिधित्व का कोई अधिकार नहीं था जब तक सेवा नियम विशेष रूप से उसी के लिए प्रदान नहीं करते हैं।

इस मामले में फिर से इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने निम्न प्रकरण में विचार किया, क्रेसेंट डायस एंड केमिकल्स लिमिटेड बनाम राम नरेश त्रिपाठी [1993] 2 एस. सी.सी. 115=[1992] पूरक 3 एस.सी.आर. 559=(1992) 3 स्केल 518, और अहमदी, जे. (जैसा कि वे तब थे) महाराष्ट्र मान्यता की धारा 22 (ii) के संदर्भ में ट्रेड यूनियनों और अनुचित श्रम-व्यवहार अधिनियम, 1971, और संदर्भ में भी घरेलू जांच के लिए, एक एजेंट के माध्यम से घरेलू जांच में प्रतिनिधित्व के चयन के लिए अपराधियों पर लगाए गए वैधानिक प्रतिबंधों को बरकरार रखा। इसे निम्नान्सार निर्धारित किया गया थाः

11. न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थित होने वाला अपराधी महसूस कर सकता है कि प्रतिनिधित्व का अधिकार प्राकृतिक न्याय के तहत निष्पक्ष स्नवाई के सिद्धांत में निहित है। इसलिए, वह महसूस कर सकता है कि उसकी पसंद के एजेंट द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने से इनकार करना प्राकृतिक न्याय से इनकार करने के समान है। आम तौर पर यह माना जाता है कि वकील या प्रतिनिधि द्वारा प्रतिनिधित्व के इस अधिकार को प्रतिबंधित नहीं करना वांछनीय है। लेकिन यह कहना अलग बात है कि ऐसा अधिकार प्राकृतिक न्याय का तत्व है और इससे इनकार का सिद्धांत जाँच को अमान्य कर देगा। वकील के माध्यम से प्रतिनिधित्व प्रतिबंधित हो सकता है, उदाहरण के लिए, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 36 कानून द्वारा व स्थायी आदेशों के प्रमाणन द्वारा। इस मामले में स्थायी आदेशों ने एक कर्मचारी को क्लर्क या कर्मचारी जो कि उसी विभाग में कार्यरत था जिसमें अपराधी कार्यरत था को प्रतिनिधित्व करने की

अनुमित दी। इसलिए भी प्रतिनिधित्व के अधिकार को कानून द्वारा विनियमित या प्रतिबंधित किया जा सकता है।

पूर्व निर्णय कालिंदी और अन्य बनाम टाटा लोकोमोटिव एंड इंजीनियरिंग कं, लिमिटेड (ऊपर); डनलप रबर कं बनाम कामगार (ऊपर) और ब्र्क बॉन्ड इंडिया (पी.) लिमिटेड बनाम सुब्बा रमन (एस.) और एक अन्य, 1961 (2) एल.एल.जे. 417 का पालन किया गया और यह माना गया कि एक कर्मचारी को उसके सुने जाने के अधिकार के हिस्से के रूप में प्रतिनिधित्व के पूर्ण अधिकार को स्वीकार करने का इस देश में कानून लागू नहीं है। यह आगे निर्दिष्ट किया गया था कि प्रतिनिधित्व का कोई अधिकार नहीं है जब तक कि कंपनी अपने स्थायी आदेशों द्वारा ऐसे अधिकार को मान्यता नहीं देती है। इस मामले में, यह भी निर्धारित किया गया था कि एक अपराधी कर्मचारी को विभागीय कार्यवाही में एक वकील द्वारा प्रतिनिधित्व करने का कोई अधिकार नहीं है जब तक कि अन्शासनात्मक कार्यवाही में शामिल तथ्य एक जटिल प्रकृति के न हों, जिस मामले में एक वकील की सहायता की अनुमति दी जा सकती है।

हमने उच्च न्यायालय के फैसले पर गंभीरता से विचार किया है जो, दिलचस्प रूप से, इस न्यायालय के फैसले को क्रिसेंट डायस में माना गया है और केमिकल्स लिमिटेड का मामला (ऊपर) प्रत्यर्थी संख्या 1 के पक्ष में निर्णय के रूप में पारित किया गया है। तर्क के सिद्घांत जिसके अनुसार प्रत्यर्थी सं. 1 के पक्ष में यह निर्णय लिया गया है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कि उसे एक ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रितिनिधित्व करने का अधिकार है, जो व्यापार संघ का एक पदाधिकारी है एवं जो अपीलार्थी का कर्मचारी नहीं था, बिल्कुल गलत है और हम इस मत का पक्ष लेने के लिए तैयार नहीं हैं। नतीजतन, हमारी राय है कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय जहाँ तक इसका उद्देश्य अपीलीय प्राधिकरण के उस आदेश को निरस्त करने के लिए है, जिसके द्वारा मसौदा स्थायी आदेश प्रमाणित किए गए थे, बनाए नहीं रखा जा सकता है।

प्रत्यर्थी संख्या 1 के लिए विद्वान वकील का तर्क कि अपीलार्थी द्वारा दिए गए स्थायी आदेश आदर्श स्थायी आदेशों के अनुरूप होने चाहिए, को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। यह सच है कि मूल रूप से प्रमाणन अधिकारी और अपीलीय प्राधिकरण का अधिकार क्षेत्र बहुत सीमित था और अधिनियम के तहत उनके लिए उपलब्ध एकमात्र अधिकार क्षेत्र यह देखना था कि क्या प्रतिष्ठान द्वारा दिए गए और उनके प्रमाणन के लिए प्रस्तुत किए गए स्थायी आदेश आदर्श स्थायी आदेशों के अनुरूप हैं या नहीं। इस प्रक्रिया की आवश्यकता थी कि प्रारूप स्थायी आदेश का आदर्श स्थायी आदेशों के साथ तुलना की जाये और यदि यह पाया गया कि मसौदा स्थायी आदेश मॉडल स्थायी आदेशों के अनुरूप हैं, तो उन्हें

प्रमाणित किया जाएगा, भले ही वे उचित या निष्पक्ष न हों। व्यावहारिक रूप से श्रमिकों काे इस मामले में बोलने का अधिकार नहीं है और उनकी बात नहीं सुनी जाएगी, भले ही वे इस बात को लेकर उत्तेजित हों कि मसौदा स्थायी आदेश निष्पक्ष या उचित नहीं थे।

1956 में संसद द्वारा अधिनियम में आमूलचूल परिवर्तन किए गए थै। जिसके परिणामस्वरूप न केवल अधिनियम का दायरा बढ़ाया गया, बिल्क प्रमाणन अधिकारी का क्षेत्राधिकार बढाकर उसको अपीलीय प्राधिकरण के रूप में स्थायी आदेशों के निष्पक्षता और तर्कसंगतता के प्रावधान से संबंधित प्रश्न पर निर्णय लेने और निर्णय लेने के लिए अधिकार प्रदान किया गया था।

तत्काल मामले में, अंतिम रूप से प्रमाणित स्थायी आदेशों को आदर्श स्थायी आदेशों के अनुरूप नहीं होना अथवा अनुचित होना नहीं माना जा सकता।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि आदर्श स्थायी आदेश प्रदत्त करते है कि एक अपराधी कर्मचारी का अनुशासनात्मक कार्यवाही में किसी अन्य कर्मचारी के माध्यम से प्रतिनिधित्व किया जा सकता है जो मूल प्रतिष्ठान का कर्मचारी नहीं हो सकता है जिसके लिए अपराधी कहीं और का कर्मचारी हो सकता है, हालांकि वह ट्रेड यूनियन का सदस्य हो सकता है, लेकिन प्रतिनिधित्व के इस नियम को प्रमाणित स्थायी आदेशों द्वारा बाधित नहीं किया गया है, क्योंकि यह अभी भी प्रदान करता है कि अन्शासनात्मक कार्यवाही में एक अपराधी कर्मचारी का प्रतिनिधित्व एक कर्मचारी के माध्यम से किया जा सकता है। एकमात्र प्रतिबंध यह है कि प्रतिनिधि मूल प्रतिष्ठान का कर्मचारी होना चाहिए। अपराधी कर्मचारी द्वारा अपने प्रतिनिधि का चयन केवल इस हद तक प्रभावित होता है कि प्रतिनिधि को उसी प्रतिष्ठान का सह-कर्मचारी होना चाहिए जिसमें अपराधी कार्यरत है। इसके पीछे कुछ तर्क प्रतीत होता है क्योंकि एक सह-कर्मचारी मूल प्रतिष्ठान में प्रचलित शर्तों, स्थायी आदेशों सहित इसके सेवा नियमों के बारे में पूरी तरह से अवगत होगा, और एक बाहरी व्यक्ति की तुलना में बेहतर स्थिति में होगा, ताकि अपराधी को घरेलू कार्यवाही में सहायता मिल सके ताकि एक निष्पक्ष और जल्दी निपटान हो सके। इस प्रकार आदर्श स्थायी आदेशों की ब्नियादी विशेषताओं को बरकरार रखा जाता है और अन्शासनात्मक कार्यवाही में प्रतिनिधित्व का अधिकार किसी अन्य कर्मचारी के माध्यम से परिवर्तित, प्रभावित या दूर नहीं किया जाता है। स्थायी आदेश तर्कसंगतता और निष्पक्षता के सभी मानकों के अन्रूप हैं और इसलिए, अपीलीय प्राधिकरण अपीलार्थी द्वारा प्रस्त्त किए गए स्थायी आदेशों के मसौदे को प्रमाणित करने में पूरी तरह से उचित था।

फलस्वरूप अपीलों की अनुमित दी जाती है। बम्बई उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित फैसला दिनांकित 28.6.1996, जहाँ तक यह विचाराधीन खंडों से संबंधित है, जो इन अपीलों का विषय है, को दरिकनार कर दिया जाता है और मसौदा स्थायी आदेशों को प्रमाणित करने वाले अपीलीय प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखा जाता है। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

अपील की अनुमति दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशल इंटेलिजेन्स टूल सुवास की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी अजय कुमार (आर.जे.एस.) द्वारा िकया गया है। अस्वीकरण यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में अनुवादित िकया गया है और िकसी अन्य उद्देश्य के िलए इसका उपयोग नहीं िकया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के िलए , निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा |